शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण

609. **श्री नागमणि** :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गो के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिये कोई प्रयास किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचारधीन है और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना

610. **श्री नागमणि** :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य-सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नही किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण है;

(ग) क्या सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु राज्यों से कहा है और इस संबंध में उनके द्वारा क्या प्रयास किये गये है; और

(घ) इन प्रयासों से सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने मंडल आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित नही की है क्योंकि ये मुख्य रूप से आदिवासी जनसंख्या की बहुलता वाले राज्य है और इन्होंने इन राज्यो/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पिछड़े वर्ग समुदाय की पहचान नही की है।

(ग) और (घ) जी, हां। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी अन्य पिछड़े वर्गो की सूचियों को अधिसूचित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में समान केन्द्रीय सूची की अधिसूचना निकल गई है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा मेघालय ने संघ राज्य क्षेत्र/ राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए पिछड़े वर्ग आयोगों की स्थापना कर ली है।

Bill for Mentally Retarded Persons

611. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a comprehensive Bill for the mentally retarded persons;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have received any memorandum in this regard;

(d) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon; and

(e) the time by which the Bill is likely to be introduced?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (e) Action is being taken for introduction of National Trust for the Welfare of Persons with Mental Retardation and Cerebral Palsy Bill, 1995 in Parliament. The main objective of the Trust would be the rehabilitation of such persons. Consultation is going on with experts, non-government organisations and State Governments before the Bill is finalised.

Tribal Welfare Bloqk of Attappadi in Kerala

612. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tribal welfare block of Attappadi in Palghat